

परिशिष्ट
(देखिए नियम 6)

फार्म-क

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा-2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने
का फार्म

भाग -1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

1	परियोजना विवरण	जनपद बिजनौर में बिजनौर-नूरपुर-छजलेट मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण चैनेज 0.00 से 36.00 तक (नये चैनेज 6.725 से 42.725 तक) प्रभावित वन भूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं बाधक 1249 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।
	अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव/परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण	लोक निर्माण विभाग, बिजनौर द्वारा मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के सम्बन्ध में।
ब)	15:000 स्केल मैप पर बने भूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप	संलग्न है
स)	परियोजना की लागत	रु 20080.65 लॉख
द)	वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य	वन क्षेत्र में योजना स्थापित नहीं की जा रही है संरक्षित वन के सम्पर्क मार्ग की अनुमति है।
य)	लागत लाभ विश्लेषण (संलग्नक किये जाने के लिए)	स्थानीय जनता को साथ मिलेगा संलग्न है।
र)	रोजगार जिनके पैदा होने की सम्भावना है।	लगभग 25000 मानव दिवस
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार वितरण	27.23 हे०
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का कारण यदि कोई हो	कोई नहीं

अ)	परिवारों की संख्या	कोई नहीं
ब)	अनु० जाति / जनजाति के परिवारों की संख्या	कोई नहीं
स)	पुनर्वास योजना (संलग्नक किये जाने के लिए)	कोई नहीं
4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम - 1987 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है? हां/ नहीं	वचनबद्धता संलग्न है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुसूचक और दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनबद्धता।	संलग्न है।
6	संलग्नक	संलग्न सूची अनुसार

दिनांक:-

स्थान:- लखनऊ

प्रशासकीय निदेशक
सामाजिक कानून प्रभाग
लखनऊ

सहायक अभियन्ता
राष्ट्रीय दण्ड, भ० ० नि० वि०
लखनऊ